Shri Varshney College Aligarh

List of B.Sc.-I Year (Maths Stats Comp.Sc)
Category: Unreserved (2023-24)

दिनांक 19-07-2023 को जारी आवश्यक सूचना के आधार पर दिनांक 21 जुलाई 2023 को उपस्थिति (रिपोटिंग) के तारतम्य में प्रवेश सूची

प्रवेश सूची में अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये योग्यतांको के आधार पर किया गया है। निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर प्रवेशार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायें। नियत तिथि व समय पर उपस्थित न होने की दशा में उनके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा | प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश सूची के अंत में दिये गये हैं। अभ्यर्थी उनका गहनता से अध्ययन कर पालन करना सुनिश्चित करें।

Last Date of Admission: 27-07-2023
Last Date of Fee Deposit: 28-07-2023 (till 11:59 PM)

Admission Date	Admission Time	Place of Admission
26-07-2023 TO 27-07-2023	11:00 AM TO 02:00 PM	DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Sr No	App No.	Student Name	Father Name	Category	Merit
1	SVC233173	YOGESH	SHISHU PAL SINGH	GEN	106.28
2	SVC235016	HEMESH SINGH	HARVEER SINGH	OBC	86.1
3	SVC235902	VIJAY KUMAR	MANOJ KUMAR	SC	80.92

आवश्यक निर्देश

1. सभी अभ्यर्थियों के लिये साक्षात्कार / प्रवेश के समय योग्यता सम्बन्धी सभी **प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ** लाना अनिवार्य है।
2. यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के हैं तो **जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ** लाना अनिवार्य है। कुछ अभ्यर्थियों के नाम उनके द्वारा अंकित श्रेणी पर आरक्षित वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है लेकिन उनके द्वारा प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उनका नाम आरक्षित वर्ग में सम्मलित नहीं किया जायेगा।
3. यदि **अभ्यर्थी विकलांग है** तो मुख्य चिकित्साधिकारी या चिकित्साधीक्षक द्वारा निर्गत **विकलांगता प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ** लाना अनिवार्य है।
4. **टी०सी०** (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) व **सी०सी०** (चरित्र प्रमाण पत्र) मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।
5. एक फोटो (पासपोर्ट साइज) व एक फोटो (टिकिट साइज) का साथ लाना अनिवार्य है।
6 **वेब-रजिस्ट्रेशन** (जो कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य वि०वि० अलीगढ़ का हो) एवं **आधार कार्ड** की छाया प्रति अनिवार्य रूप से सलग्न करनी होगी, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. यदि सत्यापन के समय योग्यतांक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो संशोधित योग्यतांक के अनुरूप ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अन्तिम निर्णय प्रवेश समिति का ही होगा|
8. यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नियमानुसार प्रवेश सूची में आना चाहिए था किन्तु किसी कारणवश प्रवेश सूची में नाम नहीं आ पाया है तो उसका प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य के प्रस्तुत करना होगा तथा परीक्षण में सत्य पाये जाने पर उसका नाम आगामी प्रवेश सूची में नियमानुसार सम्मिलित किया जायेगा |
9. किसी भी वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा। किसी भी दशा में ऐसे अभ्यर्थी का नाम आगामी सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।
10. **अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात निर्धारित तिथि के अंदर शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका प्रवेश पूर्ण नहीं माना जायेगा।**
11. निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की दशा में भविष्य में भी उसके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
12. प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को प्रवेश क्रमानुसार, स्थान उपलब्ध होने पर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ही अनुमन्य होगा।

नोट :
(1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थन के लिये प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
(2) प्रवेश से सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।
(3) सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के नियमानुसार ही सम्पन्न होगी।

प्राचार्य
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़